प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों, सरकारी कम्पनियों और संवैधानिक निगमों एवं अन्य इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित है। यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखे (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देतें है या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करतें हैं। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियां सीएजी द्वारा की जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था सम्बंधित अधिनियमों जिनके तहत ये निगम स्थापित किये गए हैं, के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। सरकारी विभागों एवं अन्य इकाइयों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय–समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं, अध्याय-I में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य इकाइयों का परिचय सम्मिलित है। अध्याय-II में "उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण" एवं "डिस्कॉम्स द्वारा परिवर्तकों के क्रय एवं प्रबंधन" एवं सरकारी कम्पनियों से सम्बंधित अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। अध्याय-III में विभागों एवं इकाइयों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2019–20 में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए एवं वे जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2019–20 के बाद की अवधि से सम्बंधित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बंधित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।